आवश्यक

पंचायत उप निर्वाचन, 2025

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या - प.नि. 30-37/2025 - 2848

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 23.6.25

विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2025 – इ.वी.एम. में प्रयुक्त होने वाले मतपत्रों का मुद्रण जिला स्तर पर कराये जाने के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 2606 दिनांक 09.06.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायत उप निर्वाचन, 2025 हेतु ग्राम पंचायत के पदों यथा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पदों पर मतदान ई.वी.एम. के माध्यम से तथा ग्राम कचहरी के पदों यथा ग्राम कचहरी सरपंच एवं ग्राम कचहरी पंच के रिक्त पदों पर मतदान मतपत्र एवं मतपेटिका के माध्यम से कराये जाने का निदेश दिया गया था।

उक्त सन्दर्भ में आयोग द्वारा ई.वी.एम. की उपलब्धता एवं अबतक प्राप्त हुये नाम निर्देशन पत्रों की स्थिति की समीक्षोपरान्त निदेश दिया गया है कि ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के सभी रिक्त पदों पर मतदान ई.वी.एम. के माध्यम से कराये जायेंगे।

ई.वी.एम. में प्रयुक्त होने वाले मतपत्रों एवं निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले मतपत्रों का मुद्रण जिला स्तर पर ही पूरी गोपनीयता एवं सुरक्षा बरतते हुए किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आवश्यक राशि पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र-9) तैयार होने के 48 घंटे के अन्दर मतपत्रों का मुद्रण सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक है कि पर्याप्त समय पूर्व ही ई.वी.एम. से मतपत्रों के मुद्रण हेतु स्थानीय स्तर पर सक्षम प्रिन्टिंग प्रेस को नियमानुसार चिह्नित कर लिया जाये।

2.(I) मतपत्रों का मुद्रण निम्न संख्या में किया जाएगा –

प्रत्येक पद हेतु चिह्नित इ.वी.एम. के लिए 5 (पाँच) मतपत्र प्रति मतदान केन्द्र की दर से एवं निविदत्त मतपत्र हेतु प्रति मतदान केन्द्रवार 20(बीस) मतपत्र की दर से मतपत्र मुद्रित किये जाएं। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के मुखिया पद के लिए 15 मतदान केन्द्र हों तो इ.वी.एम. में प्रयुक्त किए जाने के लिए 5 × 15

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

23.6.25
E:\pm5\P_Bye_E_25.pmd\59

=75 एवं निविदत्त मतपत्र के लिए 20 × 15 = 300 मतपत्र मुद्रित किये जाएँगे। इसके अतिरिक्त इ.वी.एम. में प्रयुक्त होने वाले एवं निविदत्त मतपत्रों के लिए 10 प्रतिशत सुरक्षित मतपत्र अतिरिक्त मुद्रित किये जाएँ, अर्थात प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए 3 मतपत्र के हिसाब से कुल 15 ×3 =45 (पैंतालीस) मतपत्र अतिरिक्त मतपत्र के रूप में मुद्रित किये जाएँगे।

(II) **मतपत्र का आकार, साइज एवं अन्य विशिष्टियाँ निम्न प्रकार होंगी –**

(क) सम्पूर्ण राज्य में BEL द्वारा निर्मित इ.वी.एम. प्रयोग में लाए जा रहे हैं। **BEL** की ई.वी.एम. (बी.यू.) हेतु मतपत्र की कुल लंबाई **461.5 एम0एम0** एवं चौड़ाई **140 एम0एम0** होगी।

(ख) मतपत्र की ऊपरी खाली जगह में निर्वाचन का विवरण अंकित किया जाएगा यथा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं पद का नाम। उपर्युक्त खाली जगह की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः **7.5 एम0एम0×140 एम.एम.** होगी।

(ग) मतपत्र के बाएं शीर्ष भाग में मतपत्र की क्रम संख्या मुद्रित की जाएगी। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक होती है, तब वैसी स्थिति में मतपत्र के दाएं भाग में शीट (sheet) संख्या दर्शाई जाएगी।

(घ) निर्वाचन के विवरण के ठीक नीचे गहरी काली रेखा (thick black line) होगी, जो **1 एम.एम** मोटाई की होगी।

(ङ) इस रेखा (line) के नीचे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों की क्रम संख्या, उसका नाम तथा आवंटित प्रतीक अलग-अलग पैनलों में मुद्रित किये जायेंगे। मतपत्र में क्रम संख्या, अभ्यर्थियों का नाम एवं प्रतीक चिह्न लम्बवत रेखा द्वारा विभाजित होगी, जैसा कि नमूना में दर्शाया गया है। (नमूना संलग्न)

(च) निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों के प्रत्येक पैनल का साइज (बी.यू. हेतु) **27.5 एम.एम (लम्बाई) × 140 एम.एम (चौड़ाई) होगी।**

(छ) अभ्यर्थीवार बने पैनल गहरी रेखा (thick line) से विभाजित रहेंगे, जो बी.यू. हेतु **1 एम.एम** मोटी होगी।

(ज) निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों का नाम प्रपत्र-9 की सूची के अनुसार क्रमानुसार होगा।

(झ) एक शीट मतपत्र में अधिकतम 16 अभ्यर्थियों का नाम समाविष्ट किया जा सकता है। यदि 16 से कम अभ्यर्थी हों, तो नीचे के पैनल को खाली रखा जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक हो, तो मतपत्र शीट-2 पर उपरोक्त वर्णित साइज, आकार एवं विवरण के साथ मुद्रित होंगे। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 33 से 48 के बीच हो, तो तीन एवं इसी प्रकार 49 से 64 तक हो तो चार शीट का प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान इ.वी.एम में अधिकतम 64 अभ्यर्थियों तक की व्यवस्था है। इसके लिए अधिकतम चार बैलेट यूनिट उपयोग मे लाया जा सकता है।

(ञ) प्रत्येक मतपत्र की शीट पर निर्वाचन का विवरण तथा शीट नंबर बोल्ड लेटर में मुद्रित किये जाएंगे। अभ्यर्थियों की क्रम संख्या (International form of Indian Numeral- 1,2,3,4,5.) में मुद्रित होंगे।

(ट) अभ्यर्थियों की क्रम संख्या एवं नाम बांए तरफ एवं आवंटित प्रतीक पैनल के दाएं साइड में रहेंगे।

(थ) विभिन्न पदों के लिए मतपत्र **उजले कागज (White cream wove) पर पदवार निम्नांकित रंग से मुद्रित किये जाएंगे :-**

पद का नाम		**मुद्रित किये जाने का रंग**
(i) ग्राम पंचायत सदस्य	–	काले (Black) रंग से
(ii) ग्राम पंचायत मुखिया	–	हरा (Green) रंग से
(iii) पंचायत समिति सदस्य	–	नीला (Blue) रंग से
(iv) जिला परिषद सदस्य	–	लाल (Red) रंग से

(v) ग्राम कचहरी सरपंच – कत्थई (Brown) रंग से

(vi) ग्राम कचहरी पंच के लिये मतपत्रों का मुद्रण **पीले कागज (Yellow) पर काला (Black) रंग से**

3. **सावधानियाँ** – (क) The ballot papers shall be printed in such a way that after fixing the ballot paper on the balloting unit in space provided for the purpose, dividing line drawn below the space in which the particulars of election are printed and the dividing lines below the panel of each candidate shall be in complete alignment with the corresponding groves or lines engraved on the ballloting unit. Utmost care will, therefore, have to be taken while printing the battot papers and to ensure that the ballot paper have been correctly printed, the balloting should be shown to the technicians of the printing press. They may be asked to take the exact measurements of the space meant for printing the particulars of election and the panel of candidates and the thickness of the dividing lines so that the ballot papers are printed in exact alignment.

(ख) It is not necessary to get the ballot papers which are to be fixed on the balloting units, stitched into bundles.

4. **निविदत्त मतपत्र** (Tendered Ballot Paper) - निविदत्त मतपत्र का आकार और विशिष्टियां वही होगी जो इ.वी.एम के बैलेट यूनिट में प्रयुक्त होनेवाले मतपत्र की होगी। लेकिन निविदत्त मतपत्र के पृष्ठ भाग (Back Side) पर **''निविदत्त मत पत्र ''** की मुहर लगाई जाएगी एवं मात्र इसी प्रयोजन से इसका उपयोग किया जाएगा।

5. उक्त विशिष्टि के अनुरूप (not on scale) इ.वी.एम में प्रयुक्त किए जाने वाले मतपत्र का नमूना संलग्न है।

6. साथ ही यह भी अति सूक्ष्मता से ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में Symbol और Candidate's Name में कोई भी गलती नहीं रह पाये, अन्यथा पुनर्मतदान की आवश्यकता हो जायेगी, जिसमें व्यर्थ में यही Costly exercise दुबारा दोहरानी पड़ेगी।

7. कृपया उपर्युक्त निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : यथोक्त।

सचिव।

ज्ञापांक -प.नि. 30-37/2025 – 2848 पटना, दिनांक - 23.6.25

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक -प.नि. 30-37/2025 – 2848 पटना, दिनांक – 23.6.25

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक -प.नि. 30-37/2025 – 2848 पटना, दिनांक – 23.6.25

प्रतिलिपि, सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

इ.वी.एम हेतु मतपत्र का नमूना

No. - 001 ग्राम पंचायत सिधुगढ़/ग्राम पंचायत मुखिया ....

1.	अशोक प्रियदर्शी		
2.	जेवियर लौरेंस साह		
3.	डेजी राय		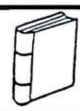
4.	प्रदीप कुमार वर्णवाल		
5.	मिथिलेश कुमार		
6.	रत्नांवर निलय		
7.	राजीव शंकर		
8.	राम सेवक मंडल		
9.	राहुल कुमार आर्य		
10.	ललन कुमार		
11.	शशि भूषण तिवारी		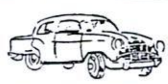
12.	श्रीकांत प्रसाद श्रीवास्तव		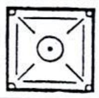
13.	संजय कुमार		
14.	संजीव कुमार		
15.	सुधीर कुमार		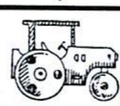
16.	सुनील कुमार श्रीवास्तव		